मौसम
तापमान नई दिल्ली
अधिकतम–23.5 डि.से. सूर्योदय– 6:57
न्यूनतम– 09.6 डि.से. सूर्यास्त– 17:24

दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों की मांग जायज : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 नवंबर।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हजारों किसानों की मांग जायज है। इनकी मदद में 'आप' के सभी कार्यकर्ता और विधायक लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सभी कार्यकर्ताओं को किसानों के लिए खाने, स्वास्थ्य, पानी और शौचालय आदि सभी जरूरतों को पूरा करने का निर्देश दिया है।

केजरीवाल ने कहा कि देश के किसान कड़ाके की ठंड में मुसीबतें झेल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार शीघ्र ही किसानों से बातचीत कर उनकी समस्या का समाधान निकालेगी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी का सबसे बड़ा संदेश मानव सेवा का था। उनका संदेश है कि हमें तन–मन–धन से पूरी तरह सेवा करनी है। आज हमारे देश के किसान दिल्ली – हरियाणा बॉर्डर और दिल्ली–उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर बहुत मुसीबत में हैं। देश के विभिन्न स्थानों से दिल्ली बॉर्डर पर आकर किसान पिछले 5 से 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से बात करने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं।

'आप' नेता राघव चड्डा ने कहा कि जल बोर्ड ने सिंघू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों के लिए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था कराई गई है। दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ एंबुलेंस भी तैनात करा दी है। इसमें ब्लड प्रेशर की जांच और ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध होगा। 'आप' सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। केंद्र को बिना शर्त किसानों से बात करनी चाहिए। उनकी बात सुननी चाहिए और मांगों को स्वीकार करना चाहिए।

सीमा पर स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा बल तैनात

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 नवंबर।

किसानों की ओर से दिल्ली के प्रमुख मार्गों को अवरुद्ध करने की चेतावनी देने के बाद पुलिस की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पुलिस बल और अर्द्धसैनिक बल को भी बढ़ाया गया है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सबसे अधिक किसान इस वक्त सिंघु बॉर्डर पर जुटे हैं। इसके साथ ही टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर स्थित दिल्ली गेट पर भी किसान ने बड़ी संख्सा में डेरा डाल लिया है। किसान उग्र और हिंसक न हो इसके लिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके का जायजा लेने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने मीडिया से कहा कि किसानों को प्रस्ताव दिया गया था कि सड़क पर रहने की बजाय बुराड़ी स्थित संत निरंकारी ग्राउंड जाना उनके लिए बेहतर रहेगा। वहां पर किसानों के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने भी अपने स्तर पर बेहतर इंतजाम किया है। दिल्ली पुलिस हर स्थिति से निटपने के लिए तैयार है। बीते कई दिनों से बॉर्डर पर किसानों के डटे रहने की वजह से राजधानी के कई इलाकों में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। कई इलाके में मार्ग में बदलाव किया गया है। सोमवार को दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त आरएस कृष्णैया समेत कई जिलों के पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

किसानों ने रागिनी गाकर केंद्र सरकार को कोसा

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 30 नवंबर।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर–ट्राली लेकर आए किसान बीते कई दिनों से गाजीपुर के पास दिल्ली गेट पर डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि पुलिस उन्हें रामलीला मैदान, जंतर मंतर या फिर बोट क्लब पर जाने की अनुमति दें, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वह दिल्ली गेट पर ही डटे रहेंगे। किसानों ने सोमवार को केंद्र की भाजपा सरकार को रागिनी गाकर कोसा। किसानों ने कहा कि पहली बार हो रहा है कि किसान संगठनों से सरकार शर्तों पर बात करने को तैयार हैं।

बुराड़ी स्थित संत निरंकारी ग्राउंड को किसानों ने खुला जेल बताया है। किसान बलबीर सिंह का कहना है कि यदि एक बार वहां पहुंच गए तो उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं होगा। यदि सरकार चाहती है कि किसानों से बातचीत की जाए तो सरकार को दिल्ली में वही स्थान मुहैया करवाना होगा, जहां इससे पहले प्रदर्शन या फिर धरना होते रहे हैं। सरकार एक साजिश के तहत किसानों को वहां भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं, सतपाल सिंह का कहना है कि सरकार यदि बातचीत करना चाहती है तो डर क्यों रही है।

मास्क पहनने का मतलब मुंह पर लटकाना नहीं : हर्षवर्धन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 नवंबर।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने सोमवार को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दो हजार से अधिक यात्रियों और अन्य लोगों को कोरोना से बचाव के लिए साबुन–मास्क वितरित किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साधारण सावधानियों के पालन से कोरोना को स्वयं से दूर रखना संभव है। इन एहतियात के बरतने में लापरवाही न केवल नुकसानदायक है बल्कि ऐसा करना स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि मास्क पहनने का मतलब केवल इसे मुंह पर लटकाना नहीं है अपितु इससे मुंह और नाक को पूरी तरह ढकना भी है। इतना ही नहीं बात करते समय भी मुंह और नाक पर से मास्क को बिल्कुल नहीं उतारें। हम पर कोरोना तभी वार कर सकता है जब हम मास्क पहनने की गंभीरता को भूलने लगें या फिर भीड़ में आपसी सुरक्षित दूरी की अनदेखी करें। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव आपके अपने हाथों में है। मंत्री ने कहा कि रेलवे स्टेशन और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर आपस में दो गज की दूरी बनाए रखें। जहां तक संभव हो भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाएं और यदि जाना जरूरी हो तो सही तरीके से मास्क पहनें और आपसी दूरी सुनिश्चित करें। मास्क, कोरोना से सुनिश्चित बचाव का सुरक्षा कवच है।

डॉ हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने कम समय के संबोधन में बहुत महत्त्वपूर्ण और बड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि सही तरीके से मास्क पहनने और आपस में दो गज की सुरक्षित दूरी रखने से कोरोना से बचा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। उन्होंने कोरोना से बचाव के साधारण उपायों के प्रचार–प्रसार को जन आंदोलन बनाए जाने की जरूरत बताई थी। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि सभी लोगों को यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि इसका पूरी तरह पालन जनता और कोरोना के बीच मजबूत रक्षक दीवार का काम कर सके।

सार्वजनिक घोषणा

भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12(3) के साथ पठित विनियम 31(2) के अनुरूप) के मामले में

यूटीएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
(CIN: U14107DL2014PTC270321) के हितधारकों के ध्यानार्थ

विनियमन 31 (2) भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड ऑफ इंडिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम 2016 के विनियमन 12 (3) के अनुसार, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि **यूटीएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड** – परिसमापन में (**"कॉर्पोरेट देनदार"**) के हितधारकों की सूची परिसमापक द्वारा तैयार की गई है, जिसे माननीय राष्ट्रीय विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के पास **26 नवंबर, 2020** को दायर की गई है।

चूंकि कंपनी (कॉर्पोरेट देनदार) की कोई कार्यात्मक वेबसाइट नहीं है, इसलिए, परिसमापक द्वारा स्वीकार किए गए दावों की राशि का पूरा विवरण दिखाने वाले हितधारकों की सूची, जिस हद तक दावे सुरक्षित/असुरक्षित हैं, में **परिसमापक** के कार्यालय **ई –7, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली –110048** में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे तथा वेबसाइट **https://www.resurgentrp.com/liquidation** पर भी उपलब्ध है।

हितधारकों को आगे अधिसूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय विधि अधिकरण,नई दिल्ली पीठ के पास दायर की गई हितधारकों की प्रविष्टियों में किसी भी संशोधन को केवल माननीय राष्ट्रीय विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत की जा सकती है।

हस्ता/-
कांति मोहन रुस्तगी
परिसमापक - यूटीएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017-18/10240
पता: ई –7, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली –110048

दिनांक : 01.12.2020
स्थान : नई दिल्ली

दस कालजयी कृतियों का चीनी और रूसी भाषा में अनुवाद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 नवंबर।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की आभासी बैठक के दौरान सोमवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आधुनिक भारतीय साहित्य की 10 कालजयी कृतियों के चीनी तथा रूसी अनुवादों के पूर्ण होने की घोषणा की। यह घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय क्षेत्रीय साहित्य की इन अद्वितीय कृतियों के चीनी तथा रूसी भाषाओं में अनुवाद से भारत की प्राचीन और समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत में दूसरे देशों के लोगों की व्यापक रुचि उत्पन्न होगी।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2019 में कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में घोषणा की थी कि भारतीय भाषाओं की 10 महान कृतियों का चीनी तथा रूसी भाषा में अनुवाद किया जाएगा। उसी के अनुसार साहित्य अकादेमी ने आधुनिक भारतीय साहित्य से 10 भारतीय भाषाओं की 10 कृतियों का चयन किया तथा इनका चीनी तथा रूसी अनुवाद प्रकाशित किया।

चीनी तथा रूसी भाषाओं में अनूदित ये भारतीय कृतियां सूरुजमुखीर स्वप्न सैयद आब्दुल मालिक (असमिया), आरोग्य निकेतन ताराशंकर बंद्योपाध्याय (बांग्ला), वेविशाल झवेरचंद मेघाणी (गुजराती), कव्वे और काला पानी निर्मल वर्मा (हिंदी), पर्व एसएल भैरप्पा (कन्नड), मनोज दासंक कथा ओ काहीणी मनोज दास (ओड़िया), मढ़ी दा दीवा गुरदियाल सिंह (पंजाबी), शिल नेरंगलि शिल मणितर्कल जयकांतन (तमिळ), इल्लु राचाकोंडा विश्वनाथ शास्त्री (तेलुगु) और एक चादर मैली सी राजिंदर सिंह बेदी (उर्दू) हैं।

किसानों के लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर चलाया अभियान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 नवंबर।

दिल्ली कांग्रेस ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए सोमवार को दिन भर सोशल मीडिया पर 'स्पीक अप फॉर फारमर' अभियान चलाया। इसके तहत केंद्र सरकार के हाल में पास किए गए कृषि के तीन नए कानूनों को कांग्रेस ने काला कानून बताया।

दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से अपील की है कि जल्दी से तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। चौधरी ने कहा कि जब तीनों कानून पास किए जा रहे थे तो देश के किसानों से क्यों नहीं बात की गई। आखिर वे कौन से कारण थे, जिसकी वजह से किसानों से राय नहीं ली गई। यदि सरकार ने किसानों से बातचीत की होती तो शायद आज किसान सड़कों पर नहीं होते।

'दिल्ली सरकार समर्थन का नाटक बंद करे'

नई दिल्ली, 30 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने किसान बिल पर दिल्ली सरकार और उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब दिल्ली सरकार ने किसान बिल को विगत 23 नवंबर को ही पास कर लागू कर दिया तो दिल्ली में किसान आंदोलन के समर्थन का नाटक कर पर्दे के पीछे माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। (जसं)

Form No. INC-25A
Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company

Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs
Northern Region

In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the Matter of M/s Melton Portfolio Management Limited having its registered Office at Property No. 72-A, Shop No. 2, DDA Flats Satyam Enclave, Jhilmil Delhi-110095 India

.....APPLICANT

Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 readwith aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 16th Day of October, 2020 to enable the company to give effect for such conversion.
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For and on behalf of the Applicant
MELTON PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED

Sd/-
RAMESH CHANDER BHARDWAJ (Director)
DIN: 02776173
Address: Gali No.5, Mahavir Nagar, Kalaka Road Rewari – 123401 (HR)

Complete Address of Registered Office:
Property No. 72-A, Shop No. 2, DDA Flats Satyam Enclave, Jhilmil Delhi-110095 India
Date.: 01/12/2020
Place.: New Delhi

Form No. INC-25A
Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company
Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs
Northern Region

In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the Matter of M/s Fast & Furious Portfolio Limited having its registered Office at Property No. 72-A, Shop No. 2, DDA Flats Satyam Enclave, Jhilmil Delhi-110095 India

.....APPLICANT

Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 readwith aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 16th Day of October, 2020 to enable the company to give effect for such conversion.
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For and on behalf of the Applicant
FAST & FURIOUS PORTFOLIO LIMITED

Sd/-
RAMESH CHANDER BHARDWAJ (Director)
DIN: 02776173
Address: Gali No.5, Mahavir Nagar, Kalaka Road Rewari – 123401 (HR)

Complete Address of Registered Office:
Property No. 72-A, Shop No. 2, DDA Flats Satyam Enclave, Jhilmil Delhi-110095 India
Date.: 01/12/2020
Place.: New Delhi

मेकामिडी एचपीपी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड MECAMIDI HPP
(CIN:U74899DL1995PTC065549)
पंजीकृत कार्यालय: सम्पत्ति सं. 116, प्रथम तल, डीएलएफ टावर बी, जसोला, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली–110025
टेली. +91 120 4699111/**फैक्स** +91 120 4699199
ईमेल आईडी: contact@mecadidihpp.com/ **वेबसाईट:** www.mecadidihpp.com

सूचना
(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में कम्पनी की इक्विटी शेयरों का अंतरण यह सूचना निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016, समय–समय पर यथा–संशोधित ("आईईपीएफ नियमावली") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुपालन में प्रकाशित की जाती है।

आईईपीएफ नियमावली के नियम 6 के साथ पठित धारा 124(6) में अन्य बातों के अलावे यह प्रावधान है कि ऐसी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित की जायेगी जिनके संदर्भ में लगातार सता वर्षों अथवा अधिक से लाभांश का भुगतान अथवा दावा नहीं किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की ऐसी इक्विटी शेयरों जिनके लिए लगातार साता वर्षों अथवा अधिक से लाभांश का भुगतान अथवा दावा नहीं किया गया है, को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण की डीमैट खाता में कम्पनी द्वारा अंतरित किया जायेगा।

वित्त वर्ष, 2012–13 के लिये घोषित लाभांश के मामले में शेयर के अंतरण की नियत तिथि 3 दिसम्बर, 2020 है। पुनः आईईपीएफ नियमावली के नियम 6(3)(ए) के अनुसार इसके लिये शेयरों के अंतरण की नियत तिथि से तीन माह पूर्व विज्ञापन देने का प्रावधान है, लेकिन कोविड–19 महामारी के कारण विज्ञापन नियत समय में नहीं दी जा सकी। अतः कम्पनी के निदेशक मंडल ने तत्काल विज्ञापन देकर उक्त नियमावली की अपेक्षाओं को पूरा करने का निर्णय किया है एवं तदनुसार संबंधित शेयरधारकों को तीन माह का समय दिया जाएगा तथा इन शेयरों को विज्ञापन की तिथि तीन माह की समाप्ति के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जायेगा। ऐसे शेयरधारकों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरण के लिये नियत शेयरों के लाभांश का दावा करने का सलाह देते हुए उनके अंतिम ज्ञात पते पर व्यक्तिगत रूप से भी सूचना दी जा रही है जिनके वर्ष 2012–13 से लाभांश दावा–रहित पड़े हैं।

कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों के नाम तथा आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित की जाने वाली उनकी शेयरों के साथ उसके फोलिओ नम्बर से शामिल सम्पूर्ण विवरणों को अपनी वेबसाईट www.mecamidihpp.com पर भी अपलोड कर दिया है।

शेयरधारक कृपया ध्यान रखें कि जब उक्त इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित किया जाऐगा तो ऐसे शेयर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) तथा उपरोक्त नियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया तथा प्रावधानों को छोड़कर किसी भी रूप में बिक्री या अंतरण अथवा व्यवसाय के लिये शेयरधारकों के लिये उपलब्ध नहीं होंगे। यह ध्यान रहे कि आईईपीएफ नियमों के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित दावा–रहित लाभांश तथा शेयरों के संदर्भ में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं की जा सकती है। फिर भी, शेयरधारक वांछित शुल्कों के भुगतान पर तथा आईईपीएफ की वेबसाईट अर्थात् www.iepf.gov.in पर उपलब्ध नियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर वेब अधारित प्रपत्र आईईपीएफ–5 में आवेदन कर दावा–रहित लाभांश राशि तथा संबंधित शेयरों को वापस प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान रहे कि ऐसे शेयरों पर उपचयित होने वाले भविष्य के सभी लाभों, लाभांशों को भी आईईपीएफ में अंतरित किया जायेगा।

शेयरधारकों से आग्रह है कि शेष दाव रहित लाभांश के लिये अपने दावे उपरोक्त पते पर कम्पनी के पास अथवा जी–21, सेक्टर–63, गौतम बुधनगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301 में कॉर्पोरेट कार्यालय में अथवा 01 मार्च, 2021 से पूर्व contact@mecamidihpp.com पर पंजीकृत कराऐं।

मेकामिडी एचपीपी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
(अमरजीत सिंह)
पूर्ण कालिक निदेशक
DIN:01272984

तिथि: 01.12.2020
स्थान: नई दिल्ली

सिल्गो रिटेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बी–11, महालक्ष्मी नगर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाष नं. : 0141–4919655, **वेबसाईट:** www.silgo.in, **ई–मेल :** info@silgo-in
सीआईएन: L36911RJ2016PL1049036

सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और 108 सपठित कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और नियम 22 (जिसमें कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमित के समय लागू हो) और अन्य कोई कंपनी अधिनियम 2013 का प्रावधान लागू हो, की अनुपालना में सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचियां दायित्व व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और इस प्रकार के अन्य नियम व विनियम जो भी लागू हों, कंपनी पोस्टल बैलट के माध्यम से सदस्यों से मंजूरी प्राप्त करना चाह रही है (केवल रिमोट ई–वोटिंग के लिए) कि विशेष व्यवसायों के लिए साधारण और विशेष संकल्प के माध्यम से जैसा कि 28 नवंबर, 2020 के पोस्टल बैलट नोटिस के अनुसार निर्धारित है।

कारपोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार (एमसीए परिपत्रों) द्वारा कोविड–19 के भय को देखते हुए जारी किये गये सामान्य परिपत्र नं.14/2020 दिनांकित 8 अप्रेल 2020, सामान्य परिपत्र नं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रेल 2020 और सामान्य परिपत्र नं. 22/2020 दिनांकित 15 जून 2020 के अनुसार पोस्टल बैलट की सूचना मय व्याख्यात्मक ब्यौरा केवल ई–मेल के माध्यम से 30 नवम्बर, 2020 को उन सदस्यों को, जिनका नाम रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा 27 नवम्बर, 2020 (कट–ऑफ डेट) को सदस्यों/लाभकारी स्वामी के रजिस्टर में था और जिनका ई–मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरिज के पास उपलब्ध था, को भेजा गया था। पोस्टल बैलट नोटिस के नोट्स भाग में ई–वोटिंग की प्रक्रिया दी गई है। पोस्टल बैलेट के नोटिस की हार्ड कॉपी, पोस्टल बैलट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस उत्तर लिफाफे के साथ शेयरधारकों को नहीं भेजी जाएगी और शेयरधारकों को उनकी मंजूरी या नामंजूरी को केवल रिमोट ई–वोटिंग के जरिये ही संचारित करने की प्रार्थना है। पेस्टल बैलट का नोटिस मय व्याख्यात्मक ब्यौरा व अन्य अनुबंध कंपनी की वेबसाईट **www.silgo.in**, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के इमर्ज प्लेटफॉर्म की वेबसाईट **https://www1.nseindia.com/emerge/** और सीडीएसएल (रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा के लिये कंपनी द्वारा नियुक्त एजेंसी) की वेबसाईट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचियां दायित्व व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुपालना में कंपनी को रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा शेयरधारकों को उपलब्ध करवाकर प्रसन्नता है। कंपनी ने सुरक्षित तरीके से ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की सेवाएं ली है और साफ व पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए मैसर्स जेएमजेए एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी, पेशवर कंपनी सचिव को सर्विलेंक के तौर पर नियुक्त किया है। कट ऑफ दिनांक को सदस्य (यों) के नाम (मों) की पंजीका में शेयर की पेडअप वेल्यू के अनुसार वोटिंग अधिकार तय किये जायेंगे।

ई–वोटिंग की समयावधि मंगलवार, 01 दिसम्बर, 2020 को सुबह 9 बजे (आईएसटी) को शुरू होकर बुधवार, 30 दिसम्बर, 2020 को सांय 5 बजे (आईएसटी) तक रहेगी। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग का माध्यम निर्धारण कर दिया जायेगा। शेयरधारकों से प्रर्थना है कि वें अपना मत केवल निर्धारित समयावधि में ही देंवे और ई–वोटिंग की प्रक्रिया व रीति के बारे में ई–वोटिंग के निर्देशों को देंखे। एक बार शेयरधारक अपना मत दे देता है तो इसके बाद शेयरधारकों को इसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

अन्य किसी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों के लिए निर्मित अधिकत्तर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) खंड को देख सकते हैं, जो कि **www.evotingindia.com** के अर्न्तगत मदद भाग में उपलब्ध है या 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** या **cs@silgo.in** पर ई–मेल करके या कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी कुमारी तृप्ति शर्मा से (0141–4919655) पर संपर्क कर सकते हैं या सीडीएसएल के अधिकारी श्रीमान नीतिन कुंदर (022–23058738) या श्रीमान राकेश दलवी (022–23058542) या श्रीमान महबूब लखानी (022–23058543) पर, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शिकायतों का समाधान करेंगे, से संपर्क कर सकते हैं।

टिप्पणी (कें): पोस्टल बैलट और नोटिस की जानकारी के लिए प्रतिउत्तरित ई–मेल आईडी उपलब्ध करवायें, इसमें सीएस का विवरण हो सकता है।

उन शेयरधारकों को रिमोट ई–वोटिंग की लॉगइन की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया, जिनका ई–मेल पता डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है।

1. **अस्थाई पंजीकरण के लिए** – जिन शेयरधारकों का ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है और नोटिस के संबंध में उनके साथ किसी भी कारण से संवाद नहीं हो पाया है, वे इस ई–वोटिंग अधिसूचना व प्रक्रिया का उपयोग, डाक मतपत्र ई वोटिंग द्वारा विगत अवधि में अपने प्रशन पंजीकृत करके और डाक मतपत्र ई वोटिंग के अनुदेशों को ई वोटिंग प्रकिया और तरीका के लिए उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। वे कंपनी के आरटीए बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक **https://bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx.in** पर पंजीकरण करवाकर नोटिस और पोस्टल बैलट के लिए खाम बनाने वाली ई–वोटिंग की प्रक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। किसी अन्य जानकारी के लिए शेयरधारक **cs@silgo.in** पर ई–मेल लिख सकते हैं।
2. **स्थाई पंजीकरण के लिए**– ई–मेल पते के स्थाई पंजीकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, सदस्यों से प्रार्थना है कि वे डीमेट होल्डिंग के संबंध में संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास अपनी ई–मेल को पंजीकृत करवाएं और फिजिकल होल्डिंग के संबंध में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और कम्पनी आरटीए द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कम्पनी आरटीए को अवगत कराएं।
3. **ईमेल आईडियों की मान्यता** – जिन शेयरधारकों ने पहले से ही अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करवा रखा है, उनसे प्रार्थना है कि वें अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स/कम्पनी के आरटीए से अपना ईमेल आईडी मान्य करवा लें, जिससे ईमेल पते पर नोटिस/कागजात/वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली प्राप्त हो सके।

जिन शेयरधारकों ने अपनी ई–मेल पता या तो कंपनी, कंपनी के आरटीए या उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास पंजीकृत नहीं करवाया है, उनसे प्रार्थना है कि वें उपर्युक्त तरीकें से अपना पंजीकरण करवायें। शेयरधारकों से प्रार्थना है कि वें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ बिगशेयर प्राईवेट लिमिटेड, कंपनी आरटीए पास क्रमशः डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या आरटीए द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए डीमेंट होल्डिंग के संबंध में अपना ई–मेल पता पंजीकृत करवायें।

संचिक्षक अपना विवरण कंपनी के चेयरमैन या अन्य वह व्यक्ति तो उनके द्वारा अधिकृत किया गया हो, को दाखिल करेगा। शुक्रवार, 01 जनवरी, 2021 से पहले कंपनी के चेयरमैन या अन्य वह व्यक्ति जो उनके द्वारा अधिकृत किया गया हो, द्वारा पोस्टल बैलट के परिणाम घोषित किया जायेगा। पोस्टल बैलट के परिणाम मय संचिक्षक विवरण कंपनी की वेबसाईट **www.silgo.in** और सीडीएसएल की ईवोटिंग वेबसाईट जैसे **www.evotingindia.com** पर प्रसारित किये जायेंगे। इसके साथ ही समान प्रकाशन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के "इमर्ज प्लेटफॉर्म" जहां पर कंपनी का शेयर सूचिबद्ध है, पर भी होगा।

सिल्गो रिटेल लिमिटेड के लिए
एसडी/–
तृप्ति शर्मा
कंपनी सचिव
M No: A52232
स्थान : जयपुर **दिनांक** : 01 दिसम्बर, 2020

सुप्रनीत फाइनांस एंड कन्सल्टैन्ट्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : सी–55/2, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–110052
Ph: 011-42952500, Fax: 011-27377373
E-Mail: info@sfclindia.com, Website: www.sfclindia.com
CIN: L65921DL1989PLC035261

31वीं वार्षिक साधारण सभा, कट–ऑफ तिथि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान, पुस्तक बंद होने, आदि की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. सुप्रनीत फाइनांस एंड कन्सल्टैन्ट्स लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक साधारण सभ शनिवार, 26 दिसम्बर, 2020 को 3.00 बजे अप. में किसी सामूहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रैंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें उनके पंजीकृत ई–मेल पते पर व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को भेजी गई सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।
2. अन्य बातों के अतिरिक्त 31वीं एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में शामि